उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-99/2020/1284/92-2-2020-95एम/2019,

लखनऊ :: दिनांक:: 06 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड/पी0आई0यू0-ललितपुर में किसी भी निर्माण कार्य का मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जाने, श्री राजेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण के बावजूद भी उन्हे कार्यमुक्त न करने, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर में कार्यरत कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने, जनप्रतिनिधियों से उचित संबंध, शिष्टाचार एवं अपेक्षित सम्पर्क न होने के कारण प्रखण्ड ललितपुर में कार्यभार अर्जित करने का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सकने आदि अनियमितताओं व विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 201/2019/2816/92-2-2019-95एम/2019, दिनांक 31.12.2019 द्वारा श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो गये, के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.12.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2020/225प्र0स0/92-2-2020-95एम/2019, दिनांक 03.07.2020 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- शासन के पत्र संख्या-540/92-2-2020-95एम/2019, दिनांक 20.02.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 20.02.2020 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2020 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री त्यागी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-04 आरोपों को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-2 एवं आरोप संख्या-3 को प्रमाणित नहीं पाया गया। किन्तु आरोप संख्या-1 को पूर्ण रूप से एवं आरोप संख्या-4 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02.07.2020 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अपचारी अधिकारी श्री सुधीश कुमार त्यागी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-4 के संबंध मे प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रमाणित आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-4 जो किसी शासकीय/आर्थिक क्षति से संबंधित नहीं है किन्तु जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी को निर्धारित मानक के अनुसार निरीक्षण न करने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने तथा प्रखण्ड का निर्धारित लक्ष्य कार्यभार अर्जित करने के उपरान्त प्राप्त न करने हेतु उत्तरदायी पाया गया। अत: उक्त आरोप गंभीर प्रकृति का नही होने के कारण श्री सुधीश त्यागी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो गयें हैं को किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर नहीं रह गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-201/2019/2816/92-2-2019-95एम/ 2019, दिनांक 31.12.2019 द्वारा श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2020/225प्र0स0/92-2-2020-95एम/2019, दिनांक 03.07.2020 द्वारा सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 99/2020/1284(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल चित्रकूट धाम बांदा ।

3- श्री सुधीश त्यागी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in